रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ़ 7, 1897

No 215] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1975

S.O. 281(E).—The Order made by the Delimitation Commission in respect of the delimitation of parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir, is hereby published:—

ORDER NO. 42

Whereas clause (2) of article 81 of the Constitution of India as applied to the State of Jammu and Kashmir by the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974, provides that there shall be allotted to the State six seats in the House of the People and that the State shall be divided into single member territorial constituencies by the Delimitation Commission in accordance with such procedure as the Commission may deem fit;

And Whereas the proposals of the Delimitation Commission for the delimitation of parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir were published on 8 February, 1975, in the Gazette of India and in the Jammu and Kashmir Government Gazette:

And Whereas all the objections and suggestions received in relation to the said proposals were considered by the Commission with the Associate Members for the State nominated under the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment order 1974, at a meeting held at New Delhi on 25 June, 1975.

We hereby determine that the territorial constituencies into which the State of Jammu and Kashmir shall be divided for the purpose of elections to the House of the people and the extent of each such constituency shall be as shown in the following Table:—

TABLE

Sl. No. and Name of constituency	Extent
1	2
1. Baramulla	Baramulla district.
2. Srinagar	Srinagar district
3. Anantnag	Anantnag district.
4. Ladakh	Ladakh district.
5. Udhampur	Udhampur, Doda and Kathua districts.
6. Jammu	Jammu, Rajouri and Poonch districts.

Note:—Any reference in this Table to a district shall be taken to mean the area comprised within that district on the 1st day of June, 1975.

J. L. KAPUR, Chairman.
T. K. BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

New Delhi,
The 28th June, 1975.

[No. 282/JK/HP/75]
By Order,

P. I. JACOB, Secretary.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1975

का० आ०281 (अ).—जम्मू-कश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग द्वारा किया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश संख्या 42

यतः संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए यथा प्रयुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 का खण्ड (2) यह उपबन्ध करता है कि इस राज्य को लोक सभा में छः स्थान आवंटित किए जाएंगे और राज्य को परिसीमन आयोग द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो आयोग उचित समझे, एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा ;

और यतः जम्मू-कश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के प्रस्ताव भारत के राजपत्र तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के राजपत्र में 8 फरवरी, 1975 को प्रकाशित किए गए थे :

और यतः उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर आयोग द्वारा, संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1974 के अधीन इस राज्य के लिए नामनिर्दिष्ट सहयुक्त सदस्यों के साथ, 25 जून, 1975 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में विचार किया गया था ;

हम एतद्द्वारा अवधारित करते हैं कि वे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें जम्मू-कश्मीर राज्य को लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में दर्शित किया गया है :—

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	विस्तार
1	2
1. बारामूला . . .	बारामूला जिला
2. श्रीनगर	श्रीनगर जिला
3. अनन्तनाग . . .	अनन्तनाग जिला
4. लद्दाख	लद्दाख जिला

1	2
5. उधमपुर	उधमपुर, डोडा और कठुआ जिले
6. जम्मू	जम्मू, रजौरी और पूंछ जिले ।

नोट :—इस सारणी में किसी जिले के किसी संदर्भ का उस क्षेत्र मे अभिप्राय होगा जो उस जिले में 1975 के जून मास के प्रथम दिन को सम्मिलित था ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।

टी० के० बसु, सदस्य ।

नई दिल्ली;
28 जून, 1975 ।

ति० स्वामीनाथन, सदस्य ।

[सं० 282/ज०-क०/जो० स०/75]
आदेश से,
पी० आई० जेकब सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975